

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या-08/2019-20

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

-बनाम-

राजेन्द्र नायक एवं अन्य

-आदेश:-

05.12.2022

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी-सह-अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं०-07, दिनांक-09.08.2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि पेटरवार थाना कांड सं०-18/2019, दिनांक-19.03.2019, धारा-414/34 भा०द०वि० के अन्तर्गत जप्त वाहन पंजीयन नं०-JH10BQ-8982 एवं उस पर लदे 1.5 टन कच्चा कोयला को अवैध रूप से परिवहन के आरोप में नामजद अभियुक्त 1. श्री राजेन्द्र नायक पिता श्री सिद्धेश्वर नायक 2. श्री बिनोद यादव पिता दुलारचन्द यादव दोनों सा०-खेतको, थाना-पेटरवार, जिला बोकारो के विरुद्ध दर्ज किया गया है। फलस्वरूप जप्त वाहन एवं कोयला को The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत राजसात की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, बोकारो को सुना गया। विपक्षीय सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित पाये गये।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि दिनांक-19.05.2019 को पेटरवार थाना क्षेत्र के ग्राम खेतकों में नायक टोला के पीछे अवैध कोयला तस्करी के विरुद्ध छापेमारी के दौरान वाहन पंजीयन नं०-JH10BQ-8982 एवं उस पर लदे 1.5 टन कच्चा कोयला को अवैध रूप से परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। विपक्षियों से वैध कागजात माँगे जाने पर किसी भी प्रकार का कोई कागजात नहीं दिखाया गया। बल्कि पुलिस बल को देखते ही वहाँ उपस्थित लोग भागने लगे। फलस्वरूप विधिवत रूप से जप्ती सूची बनाकर वाहन एवं कोयले को जप्त किया गया। अवैध तरीके से कोयले का परिवहन करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता

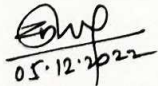
है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में अवैध रूप से कोयले का खनन/परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है।

सभी विपक्षीगण सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित पाये गए। उनलोगों के द्वारा अपने बचाव में अब तक किसी भी प्रकार का कारण-पृच्छा/लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया है, जबकि उनलोगों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए दिनांक-02.08.2022 को अन्तिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि उन्हें अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना है।

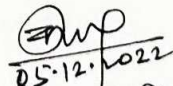
वर्णित परिस्थिति में विद्वान सरकारी अधिवक्ता की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विपक्षियों के द्वारा बिना वैध कागजात के ही कोयले का उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था। कोयले के अवैध उत्खनन कर परिवहन करने से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है एवं सरकारी सम्पत्ति की अवैध विनियमन में विपक्षी की संलिप्तता से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप जिला खनन पदाधिकारी-सह-अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं०-07, दिनांक-09.08.2019 को स्वीकृत करते हुए पेटरवार थाना कांड सं०-18/2019, दिनांक-19.03.2019, धारा-414/34 भा०८०वि० के अन्तर्गत जप्त वाहन पंजीयन नं०-JH10BQ-8982 एवं उस पर लदे 1.5 टन कच्चा कोयला को परिवहन करने के आरोप में राज्य सरकार के हित में राजसात् किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


05.12.2022

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


05.12.2022

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।